सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, मंगलवार, 25 मार्च, 1975
चैत्र 4, 1897 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 1168/सत्रह-वि––1––16-75

लखनऊ, 25 मार्च, 1975

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) विधेयक, 1975 पर दिनांक 23 मार्च, 1975 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1975 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित हुआ)

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन देय न्यायालय फीस का कतिपय परिस्थितियों में नकद संदाय करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1––(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 7, 1870 से नई धारा 25-क का बढ़ाया जाना

2––न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:––

न्यायालय फीस का नकद संदाय

"25–क(1) धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, अपेक्षित अभिधान के न्यायालय फीस स्टाम्पों की अस्थायी कमी होने की दशा में, किसी दस्तावेज पर पचास रुपये से अनधिक देय न्यायालय फीस का भुगतान, ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के अथवा प्राधिकारी या अधिकारी के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, नकद धनराशि के रूप में किया जा सकेगा, और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिए एक रसीद देगा, जिसे सम्बद्ध दस्तावेज पर चिपकाया जायगा और इस प्रकार रसीद को चिपकाये जाने का वही प्रभाव होगा मानों उतनी रकम का न्यायालय फीस इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया है।

(2) न्यायालय फीस के बदले में नकद धनराशि प्राप्त करने वाला लिपिक या अधिकारी उसे न्यायिक स्टाम्प के राजस्व के रूप में, शीर्षक " 0–30–स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस " के अन्तर्गत, यथास्थिति, कोषागार या बैंक में जमा करेगा।

(3) राज्य सरकार इस प्रकार नकद धनराशि के रूप में संदत्त रकम का लेखा रखने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश द्वारा नियम बना सकेगी।

(4) न्यायालय फीस स्टाम्प को पंच करने तथा रद्द करने से सम्बन्धित नियम तथा आदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रसीद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

(5) ऐसी ही परिस्थितियों में किसी दस्तावेज पर पचास रुपये से अधिक के देय न्यायालय फीस की दशा में, उसका भुगतान कोषागार में (जिसके अन्तर्गत उप-कोषागार भी है) किया जा सकेगा, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कोषागार का प्रभारी अधिकारी इस प्रकार नकद धनराशि के रूप में संदत्त न्यायालय फीस की रकम को दस्तावेज पर पृष्ठांकित करके प्रमाणित करेगा, और ऐसे पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा मानों न्यायालय फीस का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से कर दिया गया है।"

निरसन तथा अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायगा मानों यह अधिनियम 31 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया था।

No. 1168/XVII-V-1—16-75

Dated Lucknow, March 25, 1975

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nyayalaya Fees (Nakad Sandaya) Adhiniyam, 1975 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 1975) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 23, 1975:

THE UTTAR PRADESH COURT FEES (PAYMENT IN CASH) ACT, 1975

(U. P. Act No. 9 of 1975)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

to provide for payment of court fees payable under the Court Fees Act, 1870, in cash in certain circumstances.

It is hereby enacted in the Twenty-sixth Year of the Republic of India as folllows :–

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Court Fees (Payment in Cash) Act, 1975.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Insertion of new section 25-A in Act no. 7 of 1870.

2. *After* section 25 of the Court Fees Act, 1870, the following section shall be *inserted*, namely :–

Payment of court fee in cash.

"25-A. (1) Notwithstanding anything contained in section 25, in case of temporary shortage of court fees stamps of required denominations, the court fee due on a document not exceeding fifty rupees, may be paid in cash to such subordinate officer or clerk of the High Court or of the subordinate court or of the authority or officer receiving the document, as may be specified by such court, authority, or officer, and such subordinate officer or clerk shall grant a receipt for the same which shall be affixed on the document concerned, and such affixation shall have the same effect, as if the court fee of that amount has been duly paid in accordance with this Act.

(2) The clerk or the officer receiving the cash in lieu of the court fee shall deposit it as revenue from judicial stamps under the head "O—30. Stamps and Registration Fees" in the treasury or the bank, as the case may be.

(3) The State Government may by general order make rules regarding the maintenance of accounts of the amount so paid in cash.

(4) The rules and orders relating to punching and cancellation of court fee stamps shall *mutatis mutandis* apply in relation to the receipt referred to in sub-section (1).

(5) In the case of court fee due on a document exceeding fifty rupees, it may, in like circumstances, be paid in cash into the treasury (including a sub-treasury), and on such payment, the officer-in-charge of the treasury shall certify by endorsement on the document, the amount of court fee so paid in cash, and such endorsement shall have the same effect as if the court fee has been duly paid in accordance with this Act."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh Court Fees (Payment in Cash) Ordinance, 1975, U. P. Ordinance no. 6 of 1975. is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act had come into force on January 31, 1975.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी० —ए० पी० 397 सा० विधायिका—1975—575 (मे०) ।